

संख्या : — / नो०एम० / XXXVI(1)/2017-19 नो०एम० / 2016

प्रेषक,

आलोक कुमार वर्मा,  
प्रमुख सचिव, न्याय एवं विधि परामर्शी,  
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

जिला न्यायाधीश,  
ऊधमसिंहनगर।

न्याय अनुभाग:-1

देहरादून, दिनांक: 22 अगस्त, 2017

विषय: श्री संजय कुमार अरोरा, अधिवक्ता/नोटरी, तहसील किच्छा, जिला ऊधमसिंहनगर के नोटरी प्रमाण पत्र का नवीनीकरण किया जाना।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र सं०-613/नोटरी-2016 दिनांक 28.06.2016 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री संजय कुमार अरोरा, अधिवक्ता/नोटरी, तहसील किच्छा, जिला ऊधमसिंहनगर के नोटरी प्रमाण पत्र सं०-13(03)/2011 का नवीनीकरण दिनांक 13.12.2016 से अग्रिम पांच वर्षों तक के लिए कर दिया गया है। नवीनीकृत नोटरी प्रमाण-पत्र सम्बन्धित नोटरी को हस्तगत किये जाने हेतु संलग्न है। कृपया प्राप्ति स्वीकार करने का कष्ट करें।

संलग्नक: यथोक्त।

भवदीय,

(आलोक कुमार वर्मा)  
प्रमुख सचिव

संख्या : 11 / नो०एम० / XXXVI(1)/2017-19 नो०एम० / 2016 तददिनांक।

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. जिलाधिकारी, ऊधमसिंहनगर।
2. निजी सचिव, मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड को मा० मुख्यमंत्री जी के संज्ञानार्थ प्रेषित।
3. श्री संजय अरोरा, नोटरी/अधिवक्ता, कैनाल कॉलोनी, वार्ड नं०-8, तहसील किच्छा, जिला ऊधमसिंहनगर।
4. गार्ड फाईल/एन०आई०सी।

आज्ञा से,

(महेश चन्द्र कौशिवा)  
अपर सचिव